फार्म नं. III

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत सहायक कलेक्टर बागोड़ा जिला जालोर (राज.)

...प्रतापसिंह s/o जगतसिंह राजपूत, कावतरा बनाम प्रतिवादी:- तकसिंह s/o लालसिंह राजपूत, कावतरा

...स मुकदमा 88, 188 रा. का. अ. ....मुकदमा नम्बर 20 सन् 2018

...हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुई
...16.1.18	प्रार्थीगण / सायल / अपीलाण्ट / वादीगण / ने एक वाद / प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 रा. का. अ. .... में बाबत खातेदारी हक व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों / गैर सायल / रेस्पोडेन्ट / प्रतिवादीगणों को जरियें सम्मन / नोटिस तलब किया जावें। पत्रावली दिनांक .... को पेश हो।	
	प्रार्थी वादीगण द्वारा खातेदारी हक व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद राजस्व लोक अदालत कैम्प जेरण में पेश किया वादीगण द्वारा वाद पत्र में उल्लेख किया कि वादी सं. 1 से 5 एवं प्रतिवादी सं. 1 स्व. जगतसिंह पुत्र लोहनसिंह जाति राजपूत के औरस पुत्रगण संतान है लेकिन स्वर्गीय जगतसिंह के जीवनकाल में प्रतिवादी सं. 1 लालसिंह s/o समेलसिंह कौम राजपूत सा. कावतरा ने दि. 8/7/1996 को जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा निष्पादित करवाकर गोद चला गया था प्रतिवादी सं. 1 ने वादीगण के चल अचल सम्पत्ति में सारे हक व अधिकार छोड़कर दत्तक पिता लालसिंह की चल-अचल सम्पत्ति के हक व अधिकार प्राप्त कर लिये थे। वादीगण के पूर्वज के नाम एवं कब्जा काश्त की खातेदारी आराजी नम्बर ख. नं. 1012 रकबा 2.31 है. किस्म बारानी प्रथम ख. नं. 062 रकबा 3.69 हे. किस्म का. शी. ख. नं. 702 रकबा 1.62 हे. किस्म बारानी प्रथम ख. नं. 957 रकबा 2.28 हेक्टर किस्म बारानी प्रथम कुल रकबा 6.90 हेक्टर मौजा कावतरा	नि. प्रतापसिंह नि. चम्पाकंवर नि. जमनाकंवर नि. रमणाकंवर नि. पारूकंवर वादीगण सं. 1 से 5 की पहचान [signature] [signature] सिंह

[signature]
सहायक कलेक्टर
बागोड़ा

तहसील जगोडा में आई हुई है, उक्त भूमि वादीगण के हक व अधिकार की भूमि है। प्रत्येक वादीगण संख्या का हिस्सा बराबर-बराबर है। उक्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 को 1/12 हिस्सा हैक्टर 0.5750 भूमि विवादित होने से विवादित आराजी से सम्बोधित किया गया है, प्रतिवादी सं. 1 अपने पिता जगतसिंह व माता राधाकंवर के जीवनकाल में लालसिंह पुत्र सोमासिंह के गोद चला गया था प्रतिवादी सं. 1 गोद पुत्र के रूप में लालसिंह की भूमि पर काश्त करता रहा तथा जगतसिंह के फौत होने के बाद शुदा आराजी की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 व उसकी माता के नाम दर्ज हुई, लेकिन वादीगण की माता राधाकंवर फौत होने पर फौती नामान्तरकरण संख्या ... में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 1/12 हिस्सा 0.5750 हैक्टर भूमि की खातेदारी गलत व अवैध रूप से दर्ज कर दी गई क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 के गोद चले जाने से वादीगण की भूमि में सारे हक व अधिकार खो दिये थे। तथा गोद पिता लालसिंह की अचल सम्पत्ति के अधिकार प्राप्त कर लिये थे। इसलिए बादशुदा आराजी में दर्ज प्रतिवादी सं. 1 का 1/12 हिस्सा हैक्टर 0.5750 भूमि की खातेदारी घोषणा सं. 1 का नाम वादीगण के नाम से कोई की जावे तथा उक्त राजस्व रेकर्ड से प्रतिवादी सं. 1 का नाम डिलिट किया जावें। उक्त के समर्थन में वादीगण द्वारा रजिस्टर्ड गोदनामा की प्रति

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नामान्तरकरण सं. 814, जमाबन्दी 2065 से 2068, 2075 से 2068 मौजा मावतरा की प्रमाणित प्रति पेश की गई उक्त राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादी सं. 1 का जबाबदावा शामिल मिसल किया गया है तो प्रतिवादी सं. 1 को कोई उजर आपत्ति नहीं है। वादीगण व प्रतिवादी 1 द्वारा राजीनामा हस्ताक्षर व अंगूठा कर पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। हमने पत्रावली पर आये राजस्व दस्तावेज एवं जबाबदावा व राजीनामा का अवलोकन किया तो वादीगण का वाद कानूनीया रूप से पोषणीय होने से जरिये राजीनामा वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। कि वादग्रस्त आराजी मौजा मावतरा के नम्बर खसरा 1012, 462, 702, 957 कुल रकबा 6.90 हेक्टयर में दर्ज प्रतिवादी सं. 1 का 1/12 हिस्सा = 0.5750 हेक्टयर की खातेदारी घोषणा वादीगण के नाम से की जाती है। तथा उक्त राजस्व रेकर्ड से प्रतिवादी सं. 1 का नाम हटाये जाने के आदेश तहसीलदार बागोड़ा को दिये जाते है। निर्णय दिनांक को सुनाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

सहायक कलेक्टर